तत्काल जारी करने हेतु

प्रेस हेतु सूचना (प्रेस विज्ञप्ति संख्या 130/2025)
भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण (भादूविप्रा)

भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण ने 'इंटरकनेक्शन मामलों पर मौजूदा भादूविप्रा विनियमों की समीक्षा' पर परामर्श पत्र जारी किया

नई दिल्ली, 10 नवम्बर 2025 – भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण (भादूविप्रा) ने आज "**इंटरकनेक्शन संबंधी प्रचलित भादूविप्रा विनियमों की समीक्षा**" पर एक परामर्श पत्र जारी किया है।

2. भादूविप्रा अधिनियम, 1997 की धारा 11(1)(ख) जो भादूविप्रा को सेवा प्रदाताओं के बीच अंतर-संयोजन की शर्तें व नियम निर्धारित करने, विभिन्न सेवा प्रदाताओं के बीच तकनीकी अनुकूलता एवं प्रभावी संयोजन सुनिश्चित करने हेतु प्राधिकार प्रदान करती है, के अनुसार, भादूविप्रा वर्तमान में प्रचलित नौ इंटरकनेक्शन विनियमों की व्यापक समीक्षा कर रहा है। इस समीक्षा का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि विनियामक ढांचा दूरसंचार क्षेत्र में हो रहे तकनीकी विकास एवं परिवर्तनों को ध्यान में रखे। साथ ही, इसे दूरसंचार क्षेत्र की समकालीन स्थिति के लिए एक प्रभावी इंटरकनेक्शन ढांचा प्रदान करने के अलावा, दूरसंचार क्षेत्र में भविष्य के विकास को अपनाने के लिए भी तैयार और लचीला होना चाहिए।

3. पिछले दो दशकों से अधिक की अवधि में, इंटरकनेक्शन संबंधी विनियामक ढांचा कई विनियामक उपायों के माध्यम से विकसित हुआ है, जिसकी शुरुआत "द रजिस्टर ऑफ इंटरकनेक्ट एग्रीमेंट्स रेगुलेशन्स, 1999" से हुई थी और यह हाल में जारी "द टेलीकम्युनिकेशन इंटरकनेक्शन रेगुलेशन्स, 2018" तक विस्तारित हुआ है। इसके अलावा, इन दोनों विनियमों सहित अन्य इंटरकनेक्शन विनियमों में समय-समय पर संशोधन किए गए हैं, जिनमें नवीनतम संशोधन "द टेलीकम्युनिकेशन इंटरकनेक्शन (सेकंड अमेंडमेंट) रेगुलेशन्स, 2020" है, जिसे 10 जुलाई 2020 को अधिसूचित किया गया था।

निम्नलिखित नौ इंटरकनेक्शन विनियम वर्तमान में लागू हैं –

i. द टेलीकम्युनिकेशन इंटरकनेक्शन रेगुलेशन्स, 2018
ii. द शॉर्ट मैसेज सर्विसेज (एसएमएस) टर्मिनेशन चार्जेज रेगुलेशन्स, 2013
iii. इंटेलिजेंट नेटवर्क सर्विसेज इन मल्टी-ऑपरेटर एंड मल्टी-नेटवर्क सीनारियो रेगुलेशन्स, 2006
iv. भादूविप्रा (बीएसएनएल के सेल वन टर्मिनेटिंग ट्रैफिक हेतु ट्रांजिट चार्जेज) रेगुलेशन्स, 2005
v. द टेलीकम्युनिकेशन इंटरकनेक्शन यूसेज चार्जेज रेगुलेशन्स, 2003
vi. द टेलीकम्युनिकेशन इंटरकनेक्शन (रेफरेंस इंटरकनेक्ट ऑफर) रेगुलेशन्स, 2002
vii. द टेलीकम्युनिकेशन इंटरकनेक्शन (चार्जेज एंड रेवेन्यू शेयरिंग) रेगुलेशन्स, 2001
viii. द टेलीकम्युनिकेशन इंटरकनेक्शन (पोर्ट चार्जेज) रेगुलेशन्स, 2001
ix. द रजिस्टर ऑफ इंटरकनेक्ट एग्रीमेंट्स रेगुलेशन्स, 1999

समय-समय पर संशोधित किए गए ये फ्रेमवर्क बहु-ऑपरेटर वातावरण में निष्पक्ष प्रतिस्पर्धा, भेदभाव-रहित व्यवहार, पारस्परिकता, लागत-आधारित मूल्य निर्धारण और निर्बाध सेवा वितरण को बढ़ावा देने में सहायक रहे हैं, जिससे **उपभोक्ता-केंद्रित दूरसंचार इकोसिस्टम** को बढ़ावा मिलता है।

4. भारत का दूरसंचार उद्योग तकनीकी विकास के दौर से गुजर रहा है। इन विकासों ने मौजूदा इंटरकनेक्शन तौर-तरीकों के कुछ हिस्सों को तकनीकी रूप से अप्रचलित बना दिया है, जिससे दूरगामी विनियामक पुनर्मूल्यांकन की आवश्यकता हो गई है।

5. यह समीक्षा, अन्य बातों के साथ-साथ, आईपी आधारित इंटरकनेक्शन की जांच पर केंद्रित है जो और अधिक प्रासंगिक हो जाता है क्योंकि 4जी/5जी रोलआउट में तेजी लाने के लिए बेहतर सेवा गुणवत्ता के लिए आईपी-आधारित इंटरकनेक्शन की आवश्यकता होती है, इंटरकनेक्शन के स्तर जो वर्तमान में मोबाइल नेटवर्क इंटरकनेक्शन के लिए एलएसए (लाइसेंस प्राप्त सेवा क्षेत्र) स्तर पर हैं और फिक्स्ड लाइन टेलीफोन नेटवर्क इंटरकनेक्शन के लिए जिला/तहसील स्तर पर हैं। वर्तमान समीक्षा का उद्देश्य उपग्रह-आधारित दूरसंचार नेटवर्क जैसे उभरते प्लेटफार्मों से संबंधित इंटरकनेक्शन मुद्दों की जांच करना भी है, जिसमें प्रमुख पहलुओं में इंटरकनेक्ट (पीओआई) के बिंदुओं की प्रकृति और स्थान शामिल हैं, विशेष रूप से वे जो उपग्रह पृथ्वी स्टेशन गेटवे और अन्य उपग्रह, मोबाइल और फिक्स्ड-लाइन नेटवर्क के साथ उनके इंटरकनेक्शन से जुड़े हैं।

6. परामर्श पत्र में सेवा प्रदाताओं के बीच इंटरकनेक्शन के दौरान लागू विभिन्न शुल्कों से संबंधित विनियामक पहलुओं की भी समीक्षा की जा रही है। इनमें इंटरकनेक्शन चार्जेज, इंटरकनेक्शन यूसेज चार्जेज (जैसे ओरिजिनेशन चार्ज, ट्रांजिट चार्ज, कैरिज चार्ज, ट्रांजिट कैरिज चार्ज, टर्मिनेशन चार्ज एवं इंटरनेशनल टर्मिनेशन चार्ज) तथा रेफरेंस इंटरकनेक्ट ऑफर (RIO) फ्रेमवर्क शामिल हैं।

7. इस संदर्भ में, इस विषय पर हितधारकों के विचार जानने हेतु 03 अप्रैल 2025 को एक पूर्व-परामर्श पत्र जारी किया गया था। पूर्व-परामर्श के दौरान प्राप्त हितधारकों के सुझावों एवं भादूविप्रा द्वारा किए गए विस्तृत विश्लेषण के आधार पर, "इंटरकनेक्शन संबंधी प्रचलित भादूविप्रा विनियमों की समीक्षा" विषय पर यह परामर्श पत्र भादूविप्रा की वेबसाइट (www.trai.gov.in) पर जारी किया गया है। परामर्श पत्र में उठाए गए मुद्दों पर हितधारकों से लिखित टिप्पणियां 08 दिसम्बर 2025 तक तथा प्रति-टिप्पणियां 22 दिसम्बर 2025 तक आमंत्रित की गई हैं।

8. टिप्पणियां/प्रति-टिप्पणियां अधिमानतः इलेक्ट्रॉनिक रूप में adv-nsl1@trai.gov.in पर भेजी जा सकती हैं। किसी भी स्पष्टीकरण या अतिरिक्त जानकारी के लिए, श्री समीर गुप्ता, सलाहकार (नेटवर्क, स्पेक्ट्रम एवं लाइसेंसिंग-I), भादूविप्रा से दूरभाष संख्या +91-11-20907752 पर संपर्क किया जा सकता है।

14/11/2025

(शिव भद्र सिंह)
सचिव, भादूविप्रा